रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 2003/वैशाख 12, 1925
No. 65] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 2003/VAISAKHA 12, 1925

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2003

सं. एल-7/25(1)/2001-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इसकी ओर से सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2001 जिन्हें इसके बाद मूल विनियम कहा जाएगा, में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए हैं।

1. **संक्षिप्त नाम**

इन विनियमों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2003 कहा जाएगा ।

2. **प्रारम्भ**

ये विनियम 1.4.2003 से प्रभावी माने जाएंगे ।

3. **विनियम 1.12 का लोप**

मूल विनियम के विनियम 1.12 का लोप किया जाएगा ।

4. **"स्माल गैस टरबाइन पावर स्टेशन" की परिभाषा को अन्तःस्थापित करना**

मूल विनियमों के विनियम 2.1 में निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"स्माल गैस टरबाइन पावर स्टेशन का अर्थ और इसमें अन्तर्विष्ट है - 50 मेगावाट या

उससे कम क्षमता रेंज के गैस टरबाइन वाले गैस और नेप्था पर आधारित पावर स्टेशन"

5. **विनियम 2.4 में संशोधन - प्रचालन के मानदण्ड**

मूल विनियमों के विनियम 2.4 के विद्यमान खण्ड (iv) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) गैस तथा नेप्था पर आधारित स्टेशनों के लिए सकल स्टेशन ताप दर"

(क) स्माल गैस टरबाइन पावर स्टेशन से भिन्न उत्पादन स्टेशन

- ओपन साईकिल के लिए -- 2900 कि. कैलोरी/कि.वा. आवर
- कम्बाइंड साईकिल के लिए -- 2000 कि. कैलोरी/कि.वा. आवर

(ख) स्माल गैस टरबाइन पावर स्टेशन

(i) गैस पर आधारित असम पावर स्टेशन, कथलगुड़ी

- ओपन साईकिल के लिए -- 3225 कि. कैलोरी/कि.वा. आवर
- कम्बाइंड साईकिल के लिए -- 2250 कि. कैलोरी/कि.वा. आवर

(ii) गैस पर आधारित अगरतला पावर स्टेशन, रामचन्द्रनगर

- ओपन साईकिल के लिए -- 3580 कि. कैलोरी/कि.वा. आवर

(iii) उक्त (i) और (ii) से भिन्न

	प्राकृतिक गैस वाले	तरल ईंधन वाले
- ओपन साईकिल के लिए	--3125 कि. कैलोरी/कि.वा. आवर	1.02×3125 कि. कैलोरी/कि.वा. आवर
- कम्बाइंड साईकिल के लिए	--2030 कि. कैलोरी/कि.वा. आवर	1.02×2030 कि. कैलोरी/कि.वा आवर

6. **विनियम 2.17 (ii) में संशोधन -**

विनियम 2.17 के खण्ड (ii) के अन्त में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा "गैस टरबाइन/कम्बाइंड साईकिल स्टेशनों के मामले में घोषणा उस क्षमता के अनुसार होगी जिसे 50 हर्टज पर उपलब्ध कराया जा सकता है ।"

7. **विनियम 4.4 में संशोधन**

विनियम 4.4 के खण्ड (घ) के परंतुक में

"आई.पी.टी.सी./जे.वी. मार्गों" शब्दों के स्थान पर "ज्वाइंट वेन्चर मार्ग" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

8. **विनियम 4.10 ए में संशोधन**

विनियम 4.10 ए में जहां भी "आई.पी.टी.सी./जे.वी. मार्गों" शब्द आए हैं, उनके लिए "ज्वाइंट वेन्चर मार्ग" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

ए.के. सचान, सचिव

[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/150/03]

टिप्पण :— मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III - खण्ड 4 में दिनांक 26 मार्च, 2001 को प्रकाशित किए गए थे । इन मूल विनियमों में दिनांक 21 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था जिसे भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III - खण्ड 4 में दिनांक 24 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित किया गया था तथा उनमें दिनांक 8 जुलाई, 2002 की अधिसूचना द्वारा पुनः संशोधन किया गया था जिसे भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III - खण्ड 4 में दिनांक 11 जुलाई, 2002 को प्रकाशित किया गया था ।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2003

No. L-7/25(1)/2001-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 28 of the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998, and all other powers enabling in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions of Tariff) Regulations, 2001, hereinafter referred to as the Principal Regulations.

1. **SHORT TITLE**

These regulations shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2003.

2. **COMMENCEMENT**

These regulations shall be deemed to have come into force with effect from 1.4.2003.

3. **OMISSION OF REGULATION 1.12**

Regulation 1.12 of the Principal Regulations shall be omitted

4. **INSERTION OF DEFINITION OF "SMALL GAS TURBINE POWER STATION"**

In Regulation 2.1 of the Principal Regulations, the following shall be inserted, namely:

"Small Gas Turbine Power Station" means and includes the gas and Naptha based power stations with gas turbines in the capacity range of 50 MW or below".

5. **AMENDMENT OF REGULATION 2.4 – NORMS OF OPERATION**

For the existing Clause (iv) of Regulation 2.4 of the Principal Regulations, the following shall be substituted, namely:-

"(iv) Gross Station Heat Rate for Gas and Naptha based stations"

(a) Generating Stations other than Small Gas Turbine Power Station

- For Open Cycle	--	2900 kcal/kWh
- For Combined Cycle	--	2000 kcal/kWh

(b) Small Gas Turbine Power Stations

(i) Assam Gas Based Power Station, Kathalguri

- For Open Cycle	--	3225 kcal/kWh
- For Combined Cycle	--	2250 kcal/kWh

(ii) Agartala Gas Based Power Station, Ramchandranagar

- For Open Cycle	--	3580 kcal/kWh

(iii) Other than (i) and (ii) above

		With Natural Gas	With Liquid Fuel
- For Open Cycle	--	3125 kcal/kWh	1.02 x 3125 kcal/kWh
- For Combined Cycle	--	2030 kcal/kWh	1.02 x 2030 kcal/kWh

6. **AMENDMENT OF REGULATION 2.17 (ii) –**
The following shall be inserted at the end of Clause (ii) of Regulation 2.17 "In case of gas turbine/combined cycle stations the declaration shall be in accordance with the capacity which can be made available at 50 Hz".

7. **AMENDMENT OF REGULATION 4.4**
In proviso to Clause (d) of Regulation 4.4
For the words "IPTC/JV Routes" the words "Joint Venture route" shall be substituted.

8. **AMENDMENT OF REGULATION 4.10 A**
For the words "IPTC/JV routes" where ever occurring in Regulation 4.10 A the words "Joint Venture route" shall be substituted.

A.K. SACHAN, Secy.

[ADVT-III/IV/Exty./150/03]

Note :— Principal Regulations were published in the Gazette of India (Extraordinary), Part III – Section 4 dated March 26, 2001. Principal Regulations amended vide Notification dated September 21, 2001 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part III – Section 4 dated September 24,2001 and were further amended vide notification dated July 8, 2002 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part III – Section 4 dated July 11, 2002.

1247 GI/2003—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.